SHRI DIPEN GHOSH: On a point of order.

MR. CHAIRMAN: No point of order during Question Hour. (*Interruptions*).

SHRI H.R. BHARDWAJ: I have not completed my answer. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Question Hour over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पावर ट्रिलरों की कीमतों में वृद्धि

*143. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले पावर टिलरों की कीमत में वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) यदि हां, तो छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु सरकार ने इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार सम्बन्धित निर्माताओं को यह परामर्श देने का विचार रखती है अथवा उन्हें यह परामर्श दिया है कि वे पावरटिलरों की क्षमता बढ़ाएं और उनकी किस्म में सुधार करें जिससे कि उन्हें हर तरह की भूमि में प्रयोग मे लाने के योग्य बनाया जा सके और उनकी मरम्मत के लिए भी सुविधाएं मुहैया करावें, यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :

(क) जी, हां ।

(ख) पावर टिलरो के मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने पूर्ण रूप से निर्मित पावर टिलरों के उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है । पावर टिलरों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पुर्जो को भी उत्पादन शुल्क से छूट दे दी है ।

(ग) पावर टिलरों के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता 31,000 नग प्रति वर्ष है और अधिष्ठापित क्षमता 16,000 नग प्रति वर्ष है ।

वर्ष 1984-85 में उत्पादन 4219 नग था । इस प्रकार पर्याप्त क्षमता, पहले से ही उपलब्ध है । पावर टिलरों की समय-समय पर केन्द्रीय कृषि मशीन प्रशिक्षण और जांच संस्थान बुदनी (म० प्र०) में जांच की जाती है और इस जांच रिपोर्ट में बताए गए सुझावों के आधार पर, उत्पादकों की पावर टिलरों की किस्म में सुधार करने की सलाह दी जाती है । बिक्री के पश्चात् सेवा प्रदान करने के लिए पावर टिलरों के उत्पादकों द्वारा नियुक्त किए गए 130 डीलरो के माध्यम से किसानों की सेवा की जाती है ।

Amendment of Representation of the People Act

*146. SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI SHANKER SINGH VAGHELA:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether the Election Commission have recommended amendment to the Representation of the People Act, to prevent the use of places of worship for political and election purposes; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto and what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir, amongst others, a recommendation to the effect that Represent-